उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 505/VII-2/471/उद्योग/2002
देहरादून, दिनांक 28 अगस्त, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये ,निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली ,2017

भाग एक– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह क') सेवा नियमावली, 2017" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2 उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह 'क') सेवा, उद्योग विभाग की एक राज्य सेवा है जिसमें ज्येष्ठ समूह "क" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3 जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) किसी पद के सम्बन्ध में, **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) **"उप निदेशक श्रेणी अधिकारी"** में उप निदेशक उद्योग व महा प्रबन्धक के अधिकारी सम्मिलित हैं ;

(ग) **"संविधान"** से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है ;

(घ) **"निदेशक"** से उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(च) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(छ) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) **"सेवा"** से **"उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क")** सेवा अभिप्रेत है ;

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और, यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी

किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो ;

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग – दो –संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या

4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी **परिशिष्ट–"क"** में दी गई है:–

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, और

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन –भर्ती

भर्ती का स्रोत

5 **सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोत से की जायेगी:–**

(1) **निदेशक उद्योग–** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निदेशक उद्योग में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, में से **"श्रेष्ठता"** के आधार पर पदोन्नति द्वारा,

(2) **अपर निदेशक, उद्योग** – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक, उद्योग में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यह कि यदि पात्र या उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों, तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक, उद्योग में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

(3) **संयुक्त निदेशक उद्योग–** मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक श्रेणी के अधिकारियों, में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ;

परन्तु यह कि यदि पात्र और उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के

लिये उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशक श्रेणी के अधिकारियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

आरक्षण 6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा 7 नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों एवं आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया 8 (1) निदेशक उद्योग एवं अपर निदेशक उद्योग के पद पर श्रेष्ठता एवं संयुक्त निदेशक उद्योग के पद पर "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जायेगी , जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(क) निदेशक उद्योग एवं अपर निदेशक उद्योग के पद के लिए	
(एक) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन–	अध्यक्ष
(दो) प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग –	सदस्य
(तीन) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग – (चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जाएगी)	सदस्य
(ख) संयुक्त निदेशक उद्योग के पद के लिए	
(एक) प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग–	सदस्य
(दो) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन कार्मिक या उसका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न न हो–	सदस्य
(तीन) शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी	सदस्य

(चार) निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड–	सदस्य

टिप्पणी :– ज्येष्ठतम प्रमुख सचिव/सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पॅजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ , जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 9 (1) मौलिक रिक्तियॉ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उस क्रम में जिसमें उनके नाम ,यथास्थिति , नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथाअवधारित ज्येष्ठता कम में या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

परिवीक्षा 10 (1) किसी व्यक्ति को सेवा में किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी न जाये;

परन्तु यह कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवाक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थाईकरण 11 किसी परीवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसके नियुक्ति में स्थायीकरण उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

ज्येष्ठता 12 संवर्ग में नियुक्त सभी पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्येष्ठता निमावली ,2002" अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग छः– वेतन इत्यादि

वेतनमान 13 (1) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट–"क" में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 14 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को , यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि उपनियम (1) और (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में यदि परिवीक्षा अवधि सन्तोष न प्रदान कर सकने के कारण बढ़ायी जाय तो ऐसी बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	15	किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	16	ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों के द्वारा नियन्त्रित होंगे।
सेवा की शर्तों में शिथिलता	17	यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
व्यावृति	18	इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट "क"

क0 सं0	पद का नाम	वेतन बैंड (रूपये में)	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थाई	कुल
1	2	3	5	6	7
1	निदेशक	131100-216600	01	-	01
2	अपर निदेशक	118500- 214100	02	-	02
3	संयुक्त निदेशक	78800-209200	02	-	02

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1505 (1)/ VII-2/471–उद्योग/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड ,देहरादून।
7. निदेशक ,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राकेश कुमार)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. / Dehradun, dated: 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Micro, small and medium Section-1
No. 1505/VII-2 /471/ Industry/2002
Dehradun, Dated : 28/8/2017

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution of India"** and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and the condition of services of persons appointed to the service of the Uttarakhand Industry (Senior category "A") services;

The Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') Service Rules, 2017

PART I-GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') Service Rules, 2017.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The service of Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') service which comprises Group 'A' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) **'Appointing Authority'** means the Governor of Uttrakhand;

(b) **'Deputy Director level officer'** means such included officers of the Deputy Director, Industry and General Manager;

(c) **'Constitution'** means **'the Constitution of India'**;

(d) **Director'** means Director of Industry Uttrakahand Government;

(e) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;

(g) **'Member of the Service'** means a person substantively appointed under these rules or orders enforce prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) **'Service'** means the Uttarakhand Industry (Senior category 'A') Service;

(i) **'Substantive appointment'** means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rule and, if there were no rules, in

accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;

(j) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART II-CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the Service of officers and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service of officers and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in **Appendix-"A"**;

Provided that-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III-RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

sl.	Name of designation	source of recruitment
(a)	**Director, Industry**	By promotion basis of merit amongst substantively appointed such Additional Director, Industry who have completed minimum one year service and completed total 03 years service of the posts on the first day of the year of recruitment.
(b)	**Additional Director, Industry**	By promotion basis of merit amongst substantively appointed such Joint Director, Industry who have completed minimum one year service and completed total 04 years service of the posts on the first day of the year of recruitment, Provided that if eligible candidate or appropriate person is not available for promotion than the eligibility area may be extended for such Joint Director, Industry who has completed total 02 years service as such on the first day of the year of recruitment.

(c)	**Joint Director Industry**	By promotion basis of seniority, rejection of unfit amongst substantively appointed such Deputy Director level who have completed minimum one year service and completed total 10 years service of the posts on the first day of the year of recruitment through Selection Committee, Provided that if eligible candidate or appropriate person is not available for promotion than the eligibility area may be extended for such substantively appointed Deputy Director, Industry who has completed total 06 years service as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes and other category to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART -IV- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies 7. The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Other Categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6 and also intimate to the Commission.

Procedure for recruitment by promotion 8. (1) Recruitment by promotion to the post of the Director Industry and Additional Director Industry shall be made on merit and on the post of Joint Director shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee which comprises as follows, namely :-

(A) for the post of Director Industry and Additional Director Industry-

1- Chief Secretary, Government of Uttarakhand; - Chairman

2- Principal Secretary/Secretary Micro, Small and Medium Industry Department; - Member

3- Principal Secretary/Secretary Personnel Department, Government of Uttrakhand; - Member

(the selection proceeding shall by the Personnel Department)

(B) for the post of Joint Director, Industry-

1-	Principal Secretary/Secretary Small and Medium Industry Department;	Member
2-	Principal Secretary/Secretary Personnel Department, Government of Uttrakhand or his nominee who is not below the rank of Additional Secretary ;	Member
3-	A officer of Scheduled Caste / Tribes nominated by Government of Uttrakhand,	Member
4-	Director, Industry Uttrakhand Government.	Member

Note- The Chairman shall be Senior Principal Secretary/ Secretary of Selection Committee.

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates lieu of seniority and place it before the Selection Committee along with their character roles and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider regarding the candidate matters on the basis of their records refers to in sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare lists of selected candidates, arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

PART-V- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

9. 1) The appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 8.

(2) If more them one orders of appointment are issued in respect of any one selection. a combined–order shall also be issued, mentioning the names of the persons, in order of seniority, as determined, in the selection, or as the case may be, as it stood, in the cadre, from which they are promoted.

Probation

10. (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted;

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond in no circumstances beyond one year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his Services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

11. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation of the extended period of probation with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

Seniority

12. The seniority of persons in the post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

PART-VI- PAY ETC.

Pay Scales

13. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given in **Appendix-A**.

Pay During Probation

14. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent government service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service including period of training and has passed the Departmental examination; and second increment, after two years satisfactory service, where he has completed the probationary period and is also confirmed.

.(2) The pay during probation of a person who was already holding a post, under the Government, shall be regulate, by the relevant Fundamental Rules;

Provided that, if under sub- rule (1) and (2) the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to government service generally governing in connection with the affairs to the state.

PART-VII- OTHER PROVISIONS

Canvassing

15. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the Post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

16. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

17. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax than requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

18. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

(Manisha Panwar)
Principal Secretary.

Appendix- 'A'

Sr. no.	Name of posts	Pay scale (in Rs.)	Number of posts		
			permanent	temporary	total posts
1	Director	131100-216600	01	-	01
2	Additional Director	118500-214100	02	-	02
3	Joint Director	78800-209200	02	-	02

By Order,

(Manisha Panwar)
Principal Secretary.